कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री सोहनी पैकवेल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, 397/21ए मीरापुरा, इलाहाबाद।**

प्रा0प0सं0— **351/2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री के0एम0कुमार, फर्म अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी द्वारा धारा—31 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और उन्होनें प्रार्थना पत्र संख्या —109/08सर्वश्री मदीन पेपर टयूब्स प्रा0लि0, 117/356 सोरा गोदाम गुमटी नं09, कानपुर के पारित आदेश को संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनकी फर्म डिप्टी कमिश्नर(कर निर्धारण)वाणिज्य कर, खण्ड—5, 6, 7, 8इलाहाबाद में पंजीकृत है तथा उनके द्वारा धारा—31 के अन्तर्गत सर्वश्री मदीन पेपर टयूब्स प्रा0लि0 के वाद में धारा—59 के अन्तर्गत पारित आदेश में पदजमतेजमक चमतेवद की हैसियत से तथ्यात्मक त्रुटि को सुधारना चाहते है।

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद ने पत्र संख्या—2031 दिनांक 24—09—2008 से आख्या प्रेषित की है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सर्वश्री मदीन पेपर टयूब्स प्रा0लि0, 117/356 सोरा गोदाम गुमटी नं09, कानपुर के मामलें में दिया गया निर्णय दिनांक 2—4—08 में अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि अंकित नहीं है क्योंकि पेपर टयूब्स किसी भी विज्ञप्ति के किसी भी क्रमांक में वर्णित नहीं है ।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री के0एम0कुमार, फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4— मेरे द्वारा व्यापारी के धारा—59 के प्रार्थना पत्र, अभिलेखीय साक्ष्य, आख्या का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि सर्वश्री मदीन पेपर टयूब्स प्रा0लि0के प्रार्थना पत्र संख्या —109/08 के वाद में दिनांक 2—4—08 को पारित आदेश में कोई स्पष्ट अभिलेखीय त्रुटि नहीं की गयी है अतः व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है।

5— इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0/10—2—09

दिनांकः: 10फरवरी, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।